अपील सूचना का अधिकार संख्या 36/2022 (GCMS 2021/123)(आईटीआई पोर्टल नं. 212197871893172) प्रताप सिंह शेखावत निवासी 175 गणगौर नगर, गली नं. 3, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94144-65664) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रताप सिंह शेखावत स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी प्रताप सिंह शेखावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दिनांक 12.04.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने उसे समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:

1. लाभार्थी हिमांशु पुत्र कालूराम जन्म तिथि 19.07.2012 ग्राम 22 एमएल ग्राम पंचायत 22 एमएल, ग्राम पंचायत गणेशगढ जिला श्रीगंगानगर के आवेदन क्रमांक RJ-A-09149487 स्वीकृत तिथि 18.02.2019 द्वारा पेंशन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन व संलग्न समस्त दस्तावेज मय रिपोर्टस की प्रमाणित प्रति।
2. लाभार्थी पंकज कुमारी पत्नी कालूराम जन्मतिथि 01.09.1990 जाति जाट ग्राम 15 एसपीएम ... सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के पीपीओ संख्या ...-S-...74094 आवेदन क्रमांक RJ-A-10174094 ... पेश हेतु प्रस्तुत आवेदन व संलग्न समस्त दस्तावेज मय रिपोर्टस की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 36 / 2022

3. लाभार्थी कालूराम पुत्र राधेश्याम जन्मतिथि 07.07.1977 जाति जाट ग्राम 15 एसपीएम वेतरामवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पीपीओ संख्या RJ-S-10164263 आवेदन क्रमांक RJ-A-10164263 स्वीकृत तिथि 26.8.2019 द्वारा पेंशन हेतु प्रस्तुत आवेदन व संलग्न समस्त दस्तावेजों मय रिपोर्टस की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक 1313 दिनांक 27.06.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 21289107014104 दिनांक 12.04.2022 दर्ज होने के सम्बन्ध में ऑनलाईन पत्र क्र.सं. 8995327196 दिनांक 12.04.2022 इस कार्यलय में जून माह में प्राप्त हुआ है जिसमें आरटीआई के ऑनलाईन पोर्टल पर उपखण्ड अधिकारी की आईडी मेप नहीं होने के कारण पोर्टल खुल नहीं पाने के कारण आगामी कार्यवाही करने में विलम्ब हो गया है। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लाभार्थियों की जो सूचना चाही गई है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	लाभार्थी का विवरण	संबंधित विभाग	पेंशन का स्टेटस
1	लाभार्थी हिमांशु पुत्र कालूराम जन्म तिथि 19.07.2012 ग्राम 22 एमएल ग्राम पंचायत 22 एमएल ग्राम पंचायत गणेशगढ [illegible] श्रीगंगानगर [illegible] RJ-A-0914[illegible] स्वीकृत [illegible] 18.02.2019 द्वारा पेंशन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन व संलग्न समस्त दस्तावेज मय रिपोर्टस की प्रमाणित प्रति।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति [illegible]	पेंशन वर्तमान में बंद है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

2	लाभार्थी पंकज कुमारी पत्नी कालूराम जन्मतिथि 01.09.1990 जाति जाट ग्राम 15 एसपीएम चेतरामवाला, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के पीपीओ संख्या RJ-S-10174094 आवेदन क्रमांक RJ-A-10174094 स्वीकृत तिथि 28.08.2019 द्वारा पेश हेतु प्रस्तुत आवेदन व संलग्न समस्त दस्तावेजों मय रिपोटर्स की प्रमाणित प्रति।	अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर	पेंशन वर्तमान में बंद है।
3	लाभार्थी कालूराम पुत्र राधेश्याम जन्मतिथि 07.07.1977 जाति जाट ग्राम 15 एसपीएम चेतरामवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पीपीओ संख्या RJ-S-10164263 आवेदन क्रमांक RJ-A-10164263 स्वीकृत तिथि 26.8.2019 द्वारो पेंशन हेतु प्रस्तुत आवेदन व संलग्न समस्त दस्तावेजों मय रिपोर्टस की प्रमाणित प्रति।	अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर	पेंशन वर्तमान में बंद है।

उक्त तीनों पेंशनधारियों की पेंशन वर्तमान में बंद है। उपरोक्त तीनों पेंशन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इनका समस्त रिकॉर्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर से अपीलार्थी ले सकता है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में शहरी क्षेत्र की पेंशन संबंधी प्रकरण उसके क्षेत्राधिकार में आते है।

-sd-

लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के **अवलोकन से यह** भी पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने उक्त पत्र दिनांक 27.06.2022 से अपील का जवाब प्रेषित

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज उन्होनें पेश नहीं किया जिससे प्रतीत होता हो कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी को कोई जवाब पेश किया हो, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा [illegible] दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही [illegible] अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विभाग को भिजवाया जाना प्रतीत होता है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के** पत्रांनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर से है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को इस सूचना को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए वांछित सूचना को लोक सूचना अधिकारी द्वारा मंगवाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना चाहिए था, जो नहीं करवाया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** सादुलशहर **को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से आवेदक** द्वारा उक्त वांछित **सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुशहर से निर्णय प्राप्ति के 5 दिवस भीतर भीतर प्राप्त कर, आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवायें, इसके साथ साथ** विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2022 में अंकित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाई जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर **अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की** जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, **सादुलशहर** एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, **सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी** को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:18 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर